



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 आश्विन 1946 (श०)

संख्या - 32 राँची, बुधवार

9 अक्टूबर, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 452-482 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

**अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग**

संकल्प

20 सितम्बर, 2024

विषय:- राँची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-2566—अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास संचालित हैं । इन छात्रावासों में संबंधित कोटि के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में निःशुल्क आवासन प्रदान किया जाता है ।

1. राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान निःशुल्क आवासन की उपलब्धता में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।
2. उक्त के क्रम में राज्य मुख्यालय, राँची में आदिवासी हॉस्टल, करमटोली में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं वुमेन्स कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है ।
3. आदिवासी हॉस्टल, करमटोली, राँची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पत्रांक-भ.नि.नि.यो.क.06/2024-1587(नि), दिनांक-10.07.2024 एवं पत्रांक-भ.नि.नि.यो.क.06/2024-1641(नि), दिनांक-16.07.2024 अन्तर्गत Detailed Project Report (DPR) पर किया जाना प्रस्तावित है । DPR में निर्माण कार्य के अवयव निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	अवयवकेनाम	राशि (रूपयेमें)
1	2	3
1	Boy's Hostel (G+6)	17,31,54,577.00
2	Fire Fighting System & Fire Alarm System	1,39,44,811.93
3	External Electrical Works	20,95,034.00
4	Deep Boring – 3 Nos.	11,23,788.00
5	Recharge Pit – 3 Nos.	6,16,398.00
6	Septic Tank – 150 Users (3 Nos.)	6,58,338.00
7	Water Tank – 1 Nos. (1 lakh ltr. capacity)	7,61,099.00
8	PCC Road with Chequered Terrazo Tiles	21,75,961.09
9	Lift – 8 Passengers – 2 Nos.	43,30,000.00
10	Ground Development Work	2,85,997.07
11	Furniture Work	82,43,667.00
12	Dismantling Work	5,67,512.00
Total (A)		20,79,57,182.09
Add 18% GST on (A)		3,74,32,292.78
Total (B)		24,53,89,474.87
Add 1% Labour Cess of (B)		24,53,894.75
Add Operational Grant		1,45,57,002.75
Total		26,24,00,372.36
Say Rs.		26,24,00,400.00

4. वुमेन्स कॉलेज (साईंस ब्लॉक), करमटोली, राँची में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पत्रांक- भ.नि.नि.यो.क.06/2024-1586(नि), दिनांक-10.07.2024 अन्तर्गत Detailed Project Report (DPR) पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त DPR में निर्माण कार्य के अवयव निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	अवयव के नाम	राशि (रूपये में)
1	2	3
1	Girls's Hostel (G+7)	14,46,20,079.00
2	Fire Fighting System & Fire Alarm System	1,27,34,222.82
3	External Electrical Works	24,51,048.96
4	Deep Boring – 3 Nos.	11,23,788.00
5	Recharge Pit – 3 Nos.	6,16,398.00
6	Septic Tank – 150 Users (3 Nos.)	6,58,338.00
7	Water Tank – 1 Nos. (1 lakh ltr. capacity)	7,61,099.00
8	PCC Road with Chequered Terrazo Tiles	32,72,228.79
9	Lift – 8 Passengers – 2 Nos.	43,30,000.00
10	Furniture Work	84,33,314.00
Total (A)		17,90,00,516.57
Add 18% GST on (A)		3,22,20,092.98
Total (B)		21,12,20,609.55
Add 1% Labour Cess of (B)		21,12,206.10
Add Operational Grant		1,25,30,036.16
Total		22,58,62,851.81
Say Rs.		22,58,62,900.00

- उक्त छात्रावासों के Detailed Project Report (DPR) पर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
- निर्माण योजना पर राशि का व्यय आव्ययक में राज्य योजना के मांग संख्या-51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)-मुख्यशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-49-अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-51-S-4225-02-796-49-00-05-45 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
- इस पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.09.2024 को संपन्न बैठक में मद सं०-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

20 सितम्बर, 2024

विषय:- मेदिनी नगर, पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-2567--अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास संचालित हैं । इन छात्रावासों में संबंधित कोटि के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में निःशुल्क आवासन प्रदान किया जाता है ।

- राज्य में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान निःशुल्क आवासन की उपलब्धता में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।
- उक्त के क्रम में बाईपास रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है ।
- बाईपास रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पत्रांक-भ.नि.नि.यो.क.06/2024-2172(नि), दिनांक-05.09.2024 अन्तर्गत महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण), झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त Detailed Project Report (DPR) पर किया जाना प्रस्तावित है । DPR में निर्माण कार्य के अवयव निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	अवयवकेनाम	राशि (रूपयेमें)
1	2	3
1	Boy's Hostel (G+6)	17,31,54,577.00
2	Fire Fighting System & Fire Alarm System	1,39,44,811.93
3	External Electrical Works	20,95,034.00
4	Deep Boring – 3 Nos.	11,23,788.00

5	Recharge Pit – 3 Nos.	6,16,398.00
6	Septic Tank – 150 Users (3 Nos.)	6,58,338.00
7	Water Tank – 1 Nos. (1 lakh ltr. capacity)	7,61,099.00
8	PCC Road with Chequered Terrazo Tiles	21,75,961.09
9	Lift – 8 Passengers – 2 Nos.	43,30,000.00
10	Ground Development Work	2,85,997.07
11	Furniture Work	82,43,667.00
12	Dismantling Work	5,67,512.00
Total (A)		20,79,57,182.09
Add 18% GST on (A)		3,74,32,292.78
Total (B)		24,53,89,474.87
Add 1% Labour Cess of (B)		24,53,894.75
Add Operational Grant		1,45,57,002.75
Total		26,24,00,372.36
Say Rs.		26,24,00,400.00

4. बाईपास रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पत्रांक-भ.नि.नि.यो.क.06/2024-2171(नि), दिनांक-05.09.2024 अन्तर्गत महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण), झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति Detailed Project Report (DPR) पर किया जाना प्रस्तावित है । उक्त DPR में निर्माण कार्य के अवयव निम्नवत है:--

क्र.सं०	अवयवकेनाम	राशि (रूपयेमें)
1	2	3
1	Girls's Hostel (G+7)	14,46,20,079.00
2	Fire Fighting System & Fire Alarm System	1,27,34,222.82
3	External Electrical Works	24,51,048.96
4	Deep Boring – 3 Nos.	11,23,788.00
5	Recharge Pit – 3 Nos.	6,16,398.00
6	Septic Tank – 150 Users (3 Nos.)	6,58,338.00

7	Water Tank – 1 Nos. (1 lakh ltr. capacity)	7,61,099.00
8	PCC Road with Chequered Terrazo Tiles	32,72,228.79
9	Lift – 8 Passengers – 2 Nos.	43,30,000.00
10	Furniture Work	84,33,314.00
Total (A)		17,90,00,516.57
Add 18% GST on (A)		3,22,20,092.98
Total (B)		21,12,20,609.55
Add 1% Labour Cess of (B)		21,12,206.10
Add Operational Grant		1,25,30,036.16
Total		22,58,62,851.81
Say Rs.		22,58,62,900.00

- निर्माण योजना पर राशि का व्यय आव्ययक में राज्य योजना के मांग संख्या-51-अनुसूचितजन जाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)-मुख्यशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अन्तर्गत नया उपशीर्ष सृजित करते हुये उपबन्धित राशि से किया जाएगा ।
- इस पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.09.2024 को संपन्न बैठक में मद सं०-50 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

20 सितम्बर, 2024

विषय: झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन के संबंध में ।

संख्या-2568--विभागीय संकल्प सं-671, दिनांक 11.03.2024 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 का गठन किया है ।

- उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन/प्रबंधन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। समीक्षा उपरांत उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन/प्रबंधन हेतु विकल्पों की उपलब्धता को विस्तारित किये जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है ।
- उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों के संचालन/प्रबंधन हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध हों, इसके लिये विभागीय संकल्प सं-671, दिनांक 11.03.2024 की कण्डिका-3.14 अन्तर्गत अंकित “गैर सरकारी संस्थाओं”/“गैर सरकारी संस्था”/“गैर सरकारी संस्थान”/“संस्थान” को “गैर सरकारी संस्था (सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860)/कम्पनीज़ एक्ट 2013/इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह” से प्रतिस्थापित किया जाता है ।
- उक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.09.2024 को संपन्न बैठक में मद सं-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2024

सं०13/एच०-104/2023-5614--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-505/ECI/GE LAS/EEM/EEPS/2024, दिनांक-16.07.2024 के अनुपालन में श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है ।

श्री सिन्हा, भा०पु०से०, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग द्वारा इस संदर्भ में निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2024

संचिका सं०-13/नि०काजी-06/2024-269/ नि०--काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से एस०ताहिर हुसैन पिता-स्व० एस० एम० जियाउद्दीन, मकान संख्या-110/ए०, मिल्लतनगर, डाकखाना-मखदूमपुर थाना-बालीडीह, जिला-बोकारो, झारखण्ड को बोकारो जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं ।

नोट:-काजी अधिनियम 1880 की धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शहाब सिद्दीकी,
संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2024

सं०-14/ए०-12/2016-5613--श्री मजरूल होदा, रा०पु० से०, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाघमारा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-08, पलामू के विरुद्ध तोपचांची थाना काण्ड सं०-98/16, दिनांक-14.06.2016 के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता श्री उमेश कच्छप, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, तोपचांची की दिनांक-17.06.2016 को हुई संदेहास्पद मृत्यु के संबंध में संदिग्ध भूमिका पाये जाने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री होदा को विभागीय अधिसूचना सं०-3991, दिनांक-18.07.2016 के द्वारा तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-5681, दिनांक-18.10.2017 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-6855, दिनांक-05.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में, श्री होदा के विरुद्ध आरोप अप्रमाणित होने का निष्कर्ष अंकित किया गया। इसी क्रम में, W.P(S) No-1900/2019 मजरूल होदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में, विभागीय अधिसूचना सं०-6325, दिनांक-22.11.2019 के द्वारा श्री होदा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय, श्री होदा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के फलाफल के आधार पर लिये जाने का आदेश निर्गत किया गया ।

श्री होदा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस मुख्यालय से अद्यतन स्थिति की मांग की गयी, जिसपर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री होदा तोपचांची थाना काण्ड सं०-98/16, दिनांक-14.06.2016 में अप्राथमिकी अभियुक्त थे। माननीय न्यायालय द्वारा श्री होदा के विरुद्ध लंबित मामले को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में श्री होदा के विरुद्ध कोई मामला अनुसंधान अन्तर्गत या माननीय न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

वर्णित स्थिति में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य एवं श्री होदा से संबंधित आपराधिक मामलों पर पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया जाता है:-

(1) श्री मजरूल होदा को आरोपों से मुक्त किया जाता है ।

(2) झारखण्ड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के भाग IV के नियम 11 के उप नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में, श्री होदा के निलंबन अवधि (दिनांक-18.07.2016 से 21.11.2019) को सेवा में टूट नहीं मानते हुए पूर्ण कार्यावधि के रूप में, विनियमित करते हुए निलम्बन अवधि को सभी प्रायोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जाएगी। निलम्बन अवधि का बकाया वेतन एवं भत्ते तथा वित्तीय लाभ सहित सभी परिणामी लाभ भूतलक्षी प्रभाव से देय होगा ।

उपर्युक्त आदेश के साथ संकल्प सं०-5681, दिनांक-18.10.2017 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प सं०-6855, दिनांक-05.12.2017 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है ।

उपर्युक्त आदेश पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

26 September, 2024

Memo No.-10/C.B.I.-429/2024-5699--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment upon request made via letter number-408/CO-12/2024 dated 17.09.2024 of S.P. & Head of Branch. CBI, ACB, Dhanbad for registration of FIR against Public Servant of Eastern Coalfields Limited, Distt- Dhanbad, Jharkhand, for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act. 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,

Under Secretary to Government.

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

आदेश

30 सितम्बर, 2024

संख्या-2/नि0स्था0-1005/2013.- 3262/रा0,-- श्री बाल्मीकि साहू, जिला अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र संख्या-02 (डोरण्डा प्रक्षेत्र), राँची को दिनांक-25.06.2024 से 09.07.2024 तक उनके माता एवं पिता के ईलाज हेतु उपभोग किये गये कुल कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

कमलाकांत गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-23/2022-27096 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री संदीप कुमार, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 द्वारा नियुक्त (गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SANDEEP KUMAR- (JHK/JAS/N305)	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT(RURAL DEVELOPMENT)	<u>State Institute of Rural Development</u> , <u>RANCHI</u> Lecturer	08/07/2022	08/07/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-117/2015-27005 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री समीर रेनियर खलखो, कोटि क्रमांक-348/20 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SAMIR RANIER KHALKHO- (110023181729)	DC OFFICE SIMDEGA	<u>SIMDEGA</u> <u>SADAR</u> <u>BLOCK</u> <u>.SIMDEGA</u> Block Development Officer	11/02/2013	15/03/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2024

संख्या-2/नि०सं०-12-08/2024-26992 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री प्रकाश कुमार, कोटि क्रमांक-135/20 (द्वितीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL) No -3594/2011, बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PARKASH KUMAR- (20080400124)	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT(URBAN DEVELOPMENT)	<u>DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION</u> <u>.DHANBAD</u> Assistant Municipal Commissioner	01/09/2008	09/02/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**अधिसूचना**

13 अगस्त, 2024

सं0स0-03/नि0सं0-09-25/2017 का0-5281--विभागीय अधिसूचना संख्या 2882 दिनांक-23.04.2024 द्वारा श्रीमती ज्योति कुमारी झा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-11/20), उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 21.02.2024 से 15.03.2024 तक (कुल 24 दिन) स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द करते हुए श्रीमती झा द्वारा दिनांक 22.02.2024 से 11.03.2024 तक (कुल 19 दिन) उपभोग की गई अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

29 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-09/2024-27093 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री शक्ति कुंज, षष्ठम बैच (गृह जिला-पलामू) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SHAKTI KUNJ- (250512)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	MANOHARPUR BLOCK WEST SINGHBUM Block Development Officer	10/08/2020	10/08/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अगस्त, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-31/2020-27094 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती स्मृति कुमारी, षष्ठम बैच (गृह जिला-गढ़वा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SMRITI KUMARI- (110124255632)	DC OFFICE RANCHI	<u>D C</u> <u>OFFICE</u> <u>RANCHI</u> <u>.RANCHI</u> Resident Magistrate	10/08/2020	24/02/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1714

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

09 अक्टूबर, 2024

विषय - केन्द्र प्रायोजित कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक व्यय (Contingent Expenditure) राशि में वृद्धि के संबंध में।

संख्या-04/कृ0वि0-12/2018-2341--झारखण्ड राज्य में कृषि विस्तार हेतु सभी जिलों में केन्द्र प्रायोजित कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना कार्यान्वित है। राज्यस्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति) द्वारा राज्य स्तर पर कृषि प्रसार कर्मियों में प्रबंधकीय क्षमता एवं मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देते हुए नये कृषि प्रणाली एवं नवीनतम कृषि तकनीक से कृषिप्रसार को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

2. जिला स्तर पर कृषि विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों के सहयोग से किसानों की क्षमता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा तकनीकी ज्ञान को विकसित करते हुए सामूहिक रूप में गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
3. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड तकनीकी दल, जो किसानों को आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है एवं किसानों में आवश्यक तकनीकी ज्ञान को विकसित करते हुए सामूहिक रूप से गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही है, में कृषक मित्रों का भी महत्वपूर्ण सहयोग है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड तकनीकी दल, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं ग्राम स्तर पर कृषक मित्र कार्य कर रहे हैं।
4. पूर्व में विभागीय संकल्प सं0-210 दिनांक-31.07.2010 के आलोक में कृषक मित्रों को रु. 4000/- प्रतिवर्ष (केन्द्रांश:राज्यांश=50:50) दिया जा रहा था। तत्पश्चात विभागीय शुद्धि-पत्र सं0-965 दिनांक-14.03.2016 के द्वारा कृषक मित्रों को रु. 6000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष (केन्द्रांश:राज्यांश=50:50) दिया जा रहा था।

5. वर्तमान में प्रासंगिक योजना की मार्गदर्शिका ATMA GUIDELINES, 2018 under Krishonnati Yojana में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को, केन्द्र एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में आकस्मिक व्यय (Contingent Expenditure) की राशि रु. 12000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष (केन्द्रांश रु. 6000/- एवं राज्यांश रु. 6000/-) दिया जा रहा है।
6. मार्गदर्शिका की कंडिका-2.10 (ii) में निहित है कि कृषक मित्रों को रु. 12000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष से अधिक राशि देने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, परंतु भारत सरकार का अंशदान रु. 6000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष मात्र ही रहेगा।
7. मानदेय तथा न्यूनतम मजदूरी लागू करने के साथ-साथ स्थायीकरण एवं नियमितीकरण करने की माँग कृषक मित्रों के द्वारा अपने विभिन्न आवेदनों के माध्यम से समय-समय पर की जाती रही है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मार्गदर्शिका की कंडिका-2.10 (iii) में अंकित है कि- “कृषक मित्र इसे दीर्घावधि में रोजगार के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जो इस योजना के तहत कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। साथी किसानों की सहायता हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए कृषक मित्रों को यह राशि प्रदान की जाती है। इसे पारिश्रमिक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।”
8. उपर्युक्त के आलोक में कृषक मित्रों को वर्तमान में देय राशि के अतिरिक्त निम्न तालिका के अनुरूप आकस्मिक व्यय की राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

स्तर	पद	पदों की अनुमान्य संख्या	वर्तमान आकस्मिक व्यय की राशि (प्रति वर्र प्रति कृषक मित्र)	प्रस्तावित आकस्मिक व्यय की राशि (प्रति वर्र प्रति कृषक मित्र)
जस्व ग्राम	कृषक मित्र	16532	रु. 12000/- (रु. 1000/-प्रति माह की दर से) केन्द्रांश-6000/- राज्यांश-6000/-	रु. 24000/- (रु. 2000/-प्रति माह की दर से) केन्द्रांश-6000/- राज्यांश-6000/- + 12000/- (Topup) ¾ रु0 18000/- प्रतिवर्ष

- वर्तमान में झारखण्ड राज्यान्तर्गत कृषक मित्रों की कुल अनुमान्य संख्या 16532 है। उपर्युक्त वर्णित आकस्मिक व्यय की राशि रु. 24000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष में केन्द्रांश रु. 6000/- एवं राज्यांश रु. 18000/- सम्मिलित है।

- कृषक मित्रों को पूर्व से देय राशि राज्यांश 6000/- के अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित **कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत** Topup मद से रु. 12000/- प्रति कृषक मित्र प्रतिवर्ष राशि देने का निर्णय लिया गया है।
- इस प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 16532 कृषक मित्र X रु. 12000 $\frac{3}{4}$ रु. 1983.84 लाख (उन्नीस करोड़ तिरासी लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ेगा। कृषक मित्रों को आकस्मिक व्यय (Contingent Expenditure) की राशि में अभिवृद्धि की राशि केन्द्र प्रायोजित **कृषोन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत** Topup मद से देय होगी।

- राशि की निकासी निम्न बजटीय शी”रान्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	बजटशीर्ष	बजटीय उपबंध
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजनाशीर्ष-02-एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01X24010079699020652)	0.00
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजनाशीर्ष-02-एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01X24010010999020652)	0.00
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, उपयोजनाशीर्ष-02-एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01X24010078999020652)	0.00
योग		0.00

(शून्य रुपये) मात्र।

9. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक-28.08.2024 को सम्पन्न बैठक में इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी है कि “प्रशासी विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए

योजना का कार्यान्वयन किया जाय"। उक्त के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक/राज्य आकस्किता निधि/पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि का प्रावधान करने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

10. वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी है कि- "वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट की मांग इस कार्य हेतु नहीं किया जायेगा एवं उपलब्ध बजट में पुनर्विनियोग के द्वारा राशि की व्यवस्था की जायेगी।"
11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागीय (कृषि प्रभाग) संलेख ज्ञापांक-2274 दिनांक-27.09.2024 के क्रम में दिनांक-27.09.2024 की बैठक के मद सं0-45 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, THAKUR AKHILESHWAR PRASAD अन्य नाम THAKUR AKHILESH PRASAD पिता Late RAMAWATAR THAKUR, शपथ पत्र सं० 405, दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार THAKUR AKHILESHWAR PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा।

THAKUR AKHILESHWAR PRASAD एवं THAKUR AKHILESH PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - Qr. No. D.T.-889, DAM SIDE, DHURWA,
P.O. - DHURWA,
P.S. - DHURWA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHIVANI ORAON अन्य नाम SANAM KUMARI पिता Late JAYPRAKASH ORAON, शपथ पत्र सं० 8483, दिनांक 1 अगस्त, 2024 के अनुसार SHIVANI ORAON के नाम से जानी जाऊँगी।

SHIVANI ORAON एवं SANAM KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PESHRAR,
P.O. - PESHRAR,
P.S. - PESHRAR,
DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SACHIDANAND RAM BHAKT अन्य नाम SACHIN KUMAR MUKHERJEE पिता Late VISHAMBER RAM BHAKT, शपथ पत्र सं० 1788, दिनांक 3 फ़रवरी, 2024 के अनुसार SACHIDANAND RAM BHAKT के नाम से जाना जाऊँगा।

SACHIDANAND RAM BHAKT एवं SACHIN KUMAR MUKHERJEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHOKAD BICH TOLA,
P.O. - MAGANPUR,
P.S. - GOLA,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJU AGARWAL, AAYUG AGARWAL (अन्य नाम SHANKY AGARWAL) का पिता, शपथ पत्र सं० 1662, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AAYUG AGARWAL के नाम से जाना जायेगा।

AAYUG AGARWAL एवं SHANKY AGARWAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - K.B. GATE KUJU,
NEAR FOREST OFFICE,
KUJU SOUTH, MURPA,
P.O. - KUJU,
P.S. - MANDU,
DIST. - RAMGARH,
PIN - 825316
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANOJ KUMAR, VAIBHAVI KUMARI (अन्य नाम HARSHIKA KASHYAP) का पिता, शपथ पत्र सं० 924, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VAIBHAVI KUMARI (जन्म तिथि - 2 जुलाई, 2011) के नाम से जानी जायेगी।

VAIBHAVI KUMARI एवं HARSHIKA KASHYAP दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SECTOR VIII/A, ST. - 07,
QTR. NO. - 1323, B.S. CITY,
P.S. - HARLA,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AARTI CHAKRAVORTY अन्य नाम DIPTI DEVI पिता SAPAN CHAKRVORTY, शपथ पत्र सं० 166, दिनांक 16 जुलाई, 2024 के अनुसार AARTI CHAKRAVORTY के नाम से जानी जाऊँगी।

AARTI CHAKRAVORTY एवं DIPTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SHANTI NAGAR, KOKAR,
CHUNNA BHATTHA,
P.O. - KOKAR,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AJHREN MINZ, ALISHA SUJEN MINZ (अन्य नाम SUJEN MINZ) की माता, शपथ पत्र सं० 962, दिनांक 25 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ALISHA SUJEN MINZ के नाम से जानी जायेगी।

ALISHA SUJEN MINZ एवं SUJEN MINZ दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DUMRI,
P.O. - JAMGAIN,
P.S. - BHANDRA,
DIST. - LOHARDAGA,
PIN - 835301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHOTELAL अन्य नाम CHOTAN PRAJAPATI पिता Late BANSHI KUMHAR, शपथ पत्र सं० 8114, दिनांक 1 अगस्त, 2024 के अनुसार CHOTELAL के नाम से जाना जाऊँगा।

CHOTELAL एवं CHOTAN PRAJAPATI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHITARPUR,
P.O. - CHITARPUR,
P.S. - RAJRAPPA,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ALBELA JYOTI KHALKHO अन्य नाम MARY ALBELA पिता WILLIAM KHALKHO, शपथ पत्र सं० 24991, दिनांक 29 जुलाई, 2024 के अनुसार ALBELA JYOTI KHALKHO के नाम से जानी जाऊँगी।

ALBELA JYOTI KHALKHO एवं MARY ALBELA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - ST. JOSEPH'S CONVENT,
HURHURU ROAD,
HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRAVEEN KUMAR SINGH अन्य नाम PRAVEEN KUMAR पिता ARVIND KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 560, दिनांक 8 जून, 2024 के अनुसार PRAVEEN KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

PRAVEEN KUMAR SINGH एवं PRAVEEN KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO. - 188,
VILL. - NAWA SOSO,
P.O. - KAMRE,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JOSPHIN LINDA अन्य नाम JOSPHIN LAKRA पति MANGA PETER LAKRA , शपथ पत्र सं० 1776, दिनांक 19 जुलाई, 2024 के अनुसार JOSPHIN LINDA के नाम से जानी जाऊँगी ।

JOSPHIN LINDA एवं JOSPHIN LAKRA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - CHURI TOLA KANKE,
KANKE RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AKHILESH RAMDEO PANDEY अन्य नाम AKHILESH PANDEY पिता RAMDEO PANDEY, शपथ पत्र सं० 22, दिनांक 8 मई, 2024 के अनुसार AKHILESH RAMDEO PANDEY के नाम से जाना जाऊँगा ।

AKHILESH RAMDEO PANDEY एवं AKHILESH PANDEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - DIVINE HOUSE CLUB ROAD,
SUJATA CHOWK,
P.O. - G.P.O.,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KOMAL KUMARI अन्य नाम KOMAL पति VIVEK PRAKASH, शपथ पत्र सं० 27, दिनांक 25 जून, 2024 के अनुसार KOMAL KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।
KOMAL KUMARI एवं KOMAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - ASHA ARUN ASHIYANA,
MAYUR VIHAR COLONY,
NEAR MEMCO MORE, SUSNILEWA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIVEK PRAKASH, SWASTIKA PRAKASH (अन्य नाम SWASTIKA) का पिता, शपथ पत्र सं० 26, दिनांक 25 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SWASTIKA PRAKASH (जन्म तिथि - 21 अगस्त, 2011) के नाम से जानी जायेगी।
SWASTIKA PRAKASH एवं SWASTIKA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - ASHA ARUN ASHIYANA,
MAYUR VIHAR COLONY,
NEAR MEMCO MORE, SUSNILEWA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GUDDU, IQRA NAAZ (अन्य नाम LAIBA NAAZ) का पिता, शपथ पत्र सं० 27030, दिनांक 12 अगस्त, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री IQRA NAAZ (जन्म तिथि - 31 मार्च, 2014) के नाम से जानी जायेगी।

IQRA NAAZ एवं LAIBA NAAZ दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - BUCHAR TOLI KHANSAMA GALI,
P.O. - SADAR,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHRAVANI MISHRA अन्य नाम SHRAVANI पिता RAKESH KUMAR MISHRA, शपथ पत्र क्रम सं० 23-24/NI24766, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के अनुसार SHRAVANI MISHRA के नाम से जानी जाऊँगी।

SHRAVANI MISHRA एवं SHRAVANI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 3D BLOCK NO. - E.7,
SAIL CITY NEW PUNDAG DHURWA,
RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, UMA SHANKAR ADHUPIYA अन्य नाम US ADHUPIYA पिता Late BAL KISHAN ADHUPIYA, शपथ पत्र सं० 2907, दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के अनुसार UMA SHANKAR ADHUPIYA के नाम से जाना जाऊँगा।

UMA SHANKAR ADHUPIYA एवं US ADHUPIYA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - P - 38/2, DIPATOLI MILITARY STATION,
RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRADIP KUMAR SINGH, ATHARVA VAIBHAV (अन्य नाम ANAGH KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 2402753339, दिनांक 26 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ATHARVA VAIBHAV (जन्म तिथि - 15 अक्टूबर, 2010) के नाम से जाना जायेगा।

ATHARVA VAIBHAV एवं ANAGH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO.-2968, SHIV PATH, BARIDIH BASTI
P.O.- BARIDIH
JAMSHEDPUR
EAST-SINGHBHUM,
PIN - 831017
JHARKHAND
